

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मा. /वी.सी./आईसीडीएस/2013 | 13466-802 जयपुर, दिनांक 29.8.16

1. उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त राजस्थान।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त राजस्थान।

विषय:—दिनांक 09.09.2016 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में।

संदर्भ:—इस निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 84628-690 दिनांक 28.06.2016 व 89619-685 दिनांक 08.07.2016

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं व अन्य अधिकारियों द्वारा निदेशालय के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेन्टर, जयपुर से दिनांक 09-09-2016 को दोपहर 2.30 बजे से 6.00 बजे तक वार्ता कर जिलों के कार्यों की समीक्षा की जायेगी। उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को एजेण्डावार सूचना के साथ मय स्टॉफ जिला मुख्यालय स्थित DOIT के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को परियोजना में पदस्थापित पर्यवेक्षकों सहित पंचायत समिति स्थित जन-सुनवाई केन्द्र के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एजेण्डा निम्नानुसार है:—

समय	संभागी जिले	एजेण्डा बिन्दु
दोपहर 2.30 बजे से 3.00 बजे तक	समस्त 33 जिले	पोषाहार सप्ताह (1-7 सितम्बर, 2016) की समीक्षा
3.00 बजे से 4.00 बजे तक	समस्त 33 जिले	<ul style="list-style-type: none"> राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत के तकमीने के प्रस्ताव मानदेयकर्मियों का विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन की समीक्षा SHG व राशन की दुकानों की सूचना नवनियुक्त पर्यवेक्षकों के मोबाईल नं. राजपोषण पर update करना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्थायी एजेण्डा के अनुसार समीक्षा ISSNIP से संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा Reporting of Community based events BRG training
4.00 से 5.30 बजे तक	समस्त 33 जिले	
5.30 बजे से 6.00 बजे तक	ISSNIP योजना के 19 जिले—अवसर, अलवर, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, झुंजरपुर, जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरौही, टोंक, व उदयपुर।	

समस्त उप निदेशकों को सूचित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय से उक्त प्रपत्रों में मासिक सूचना संकलित कर चैक लिस्ट सहित विभागीय ई-मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर पूर्व निर्देशानुसार प्रति माह द्वितीय मंगलवार को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस माह की सूचना दिनांक 06.09.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें।

(नोट: वांछित सूचनाएं दिनांक 06.09.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं होने पर आपके जिले कि उपलब्धि व लक्ष्यों के अनुरूप दिए जाने वाले कुल प्राप्तांकों में से 10 अंक घटा दिए जाएंगे। साथ ही निर्धारित चैक लिस्ट एवं वांछित प्रपत्र के अनुसार सूचना न भेजने/गलत सूचना प्रेषित करने पर भी 10 अंक कुल प्राप्तांको में से घटा दिए जायेंगे।)

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 (13803-848) जयपुर, दिनांक 29.8.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. निदेशालय स्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण उक्त विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित सूचना सहित भाग लेना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रणिमा
संयुक्त निदेशक (मो.)